दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री औम प्रकाश बत्तरा अधिवक्ता –वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 व 11, 12 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 04.12.2018
3. पैरोकार राज –प्रतिवादी संख्या 10

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–03.06.2019

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 9 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि बंशीलाल पुत्र हनुमान के नाम से चक 1 वाई तहसील श्री गंगानगर के खाता संख्या 55/51, वर्तमान खाता संख्या 63/58, मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 15 से 25 का रकबा हिस्सा व कब्जा में था, उसके द्वारा उपरोक्त रकबा वादी संख्या 1 को जरिये बैयनामा दिनांक 26.04.2006 को विक्रय किया गया तथा इस रकबा का इंतकाल दिनांक 14.05.06 को हो गया एवं वादी संख्या 1 के नाम जमाबंदी में 2.782 हैक्टर के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार बंशीलाल ने उपरोक्त खाता के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1 सालम, वादी संख्या 2 को जरिये बैयनामा दिनांक 26.04.2006 को विक्रय किया गया, जो कि इंतकाल होकर वादी संख्या 2 के नाम 0.253 हैक्टर के रूप में खातेदारी दर्ज है, जमाबंदी की नकल शामिल है।

यह कि वर्तमान में उपरोक्त खाता संख्या 63/58, मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 1 ता 25 का 5.820 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 1 में 0.253 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 1 ता 25 में 6.200 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 ता 5 में 1.139 हैक्टर, कुल 13.442 हैक्टर मुश्तरका खाता में दर्ज है, जिसमें हनुमान के नाम 2.782 हैक्टर, कृष्णलाल के नाम 3.035 हैक्टर, बनवारीलाल के नाम 4.552 हैक्टर तथा वादी संख्या 2 के नाम 0.253 हैक्टर तथा वादी संख्या 1 के नाम 2.782 हैक्टर खातेदारी दर्ज है, हनुमान का देहांत दिनांक 29.09.2005 को हो चुका है, जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 लडके तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 पौते है क्योकि भानुप्रताप पुत्र हनुमान का भी देहांत हो जाने के कारण उसकी पत्नी व उसके लडके लडकियां है तथा प्रतिवादी संख्या 9 हनुमान की लड़की है, इस प्रकार उपरोक्त खाता की भूमि वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 9 की संयुक्त खाता की कृषि भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

मुरब्बा नम्बर 8 के 5.820 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 14 में 0.253 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 30 में 6.200 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 31 में 1.139 हैक्टर, कुल 13.412 हैक्टर मुश्तरका खाता में दर्ज है, वादीगण के पास मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 15 से 25 वादी संख्या 1 के कब्जा में तथा मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 1 का 0.253 हैक्टर वादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चला आ रहा है तथा इसी भूमि पर वादीगण काश्त करते आ रहे हैं तथा उनके द्वारा भारी मेहनत व काफी रुपया लगाकर सुधारा गया है।

वादीगण उपरोक्त भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहते है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होने के कारण ना केवल सुधार कार्य करवाने में परेशानी हो रही है व पूरा लाभ उठाना संभव नहीं हो रहा है बल्कि लगान व बारी–पानी आदि को लेकर विवाद बना रहता है, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मुश्तरका खाता के कारण वादीगण उठा पाने में असमर्थ हो रहे है, अतः वादीगण के लिए खाता का विभाजन कब्जा काश्त के आधार पर करवाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण के मन में गलत लालच आने से वह अच्छी भूमि को मुंतकिल करने के प्रयास में है, इसलिए वादीगण के लिए दावा हाजा लाना तथा कब्जा काश्त के आधार पर विभाजन करवाकर किलावाईज दर्ज करवाना तथा लगान मामला कायम करवाना आवश्यक हो गया है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण से बार–बार आग्रह किया कि वह उपरोक्त खाता का विभाजन कब्जा काश्त के आधार पर करवाते हुए वादीगण के खाते अलग करवाकर लगान मामला कायम करवाये मगर प्रतिवादीगण लालचवंश होने से टालमटोल करते रहे तथा दो रोज पूर्व साफ इंकार कर दिया, अतः यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान् न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है तथा वाद वादीगण काबिल समाअत अदालतवाला है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के उचित न्यायशुल्क पर पेश किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या 10 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है। तथा प्रतिवादी संख्या 11, 12 के पास भूमि रहन होने का इन्द्राज होने से पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

लिहाजा वाद वादीगण पेश करके अर्ज है कि वाद वादीगण, बहक वादीगण, खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

(क) डिक्री खाता विभाजन चक 1 वाई तहसील श्री गंगानगर के खाता संख्या 63 / 58, मुरब्बा नम्बर 8 की 5.820 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 14 की 0.253 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 30 की 6.200 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 31 की 1.139 हैक्टर कुल 13.412 हैक्टर का कब्जा काश्त के आधार पर विभाजन करवाया जाकर वादी संख्या 1 के नाम मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 15 से 25 कुल 11 बीघा व वादी संख्या 2 के नाम मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1 के 0.253 हैक्टर किलावाईज दर्ज करते हुए उनका खाता अलग किया जाकर लगान मामला कायम करने का आदेश फरमाया जावें।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो वह भी प्रदान किया जावें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 व 11,12 की तलबी विधिवत होनें के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आनें पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 व 11, 12 के विरूद्ध दिनांक 04.12.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 10 पैरोकार राज द्वारा स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को ध्यान में रखते हुए मुकद्में का निस्तारण करना उचित होगा।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 व 11, 12 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होनें से प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकीयात कायम नहीं की गई वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत करनें पर शामिल पत्रावली किये जाकर वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौरानें बहस वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनें वाद पत्र को दौहराते हुए कथन किया कि वादी मुताबिक राजस्व अभिलेख रिकार्डेड सहखातेदार है तथा अपनें हिस्से तक की भूमि का खाता विभाजन करवानें के अधिकारी है अतः वादीगण के हिस्से की भूमि का खाता विभाजन किया जावे।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी। वादीगण विवादीत आराजी में सहखातेदार है तथा अपनें हिस्से तक की भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 व 11, 12 विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने के कारण वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष के सन्दर्भ में वाद दिनांक 22.01.2019 प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी कर तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर के कमांक भू.अ / 2019 /

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

712 दिनांक 06.03.2019 के विवादित आराजी का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के तथ्यों का अवलोकन कर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपस्थित अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

–:: आदेश ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वादी संख्या 1 को चक 1 वाई खाता संख्या 63/58 मु.नं.8 किला नम्बर 15 ता 25 कुल 2.783 हैक्टर व वादी संख्या 2 को चक 1 वाई खाता संख्या 63/58 मु.नं. 14 किला नं. 1 कुल 0.253 हैक्टर(नहरी 0.228 + खाला 0.025 0.228) का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 03.06.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर